RETIREMENT AGE OF GOVERNMENT EMPLOYEES

•552. SHRI JAGAT NARAIN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is a proposal under Government's consideration to raise the retirement age of the Central Government employees from 58 to ■60 years; and

(b) if so, when a decision is likely to be taken in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI L. N. MISHRA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

PERSONS DETAINED UNDER D.I.R.

•553. SHRI G. MURAHARI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of persons belonging to various parties arrested under the Defence of India Rules since 1st August, 1965;

(b) the party-wise and State-wise break-up of those detenus; and

(c) how many of them have since been released?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI JAISUKHLAL HATHI) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

तीन भाषाओं का फार्मूला

*554. { श्री भगवत नारायण भार्गव :
श्री राम सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964-65 के दौरान तीन भाषाओं के फार्मुले को कार्यान्वित करने के लिए भारत के प्रत्येक राज्य ने क्या कदम उठाये हैं और कौन-कौन सी भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है ?

†[THREE LANGUAGE FORMULA

†554. { SHRI B. N. BHARGAVA:
SHRI RAM SINGH:

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state the details of the steps taken by each of the States in India during the year 1964-65 for implementing the three language formula and the names of the languages whose teaching has been made compulsory by each of the said States?]

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुन्दरम् रामचन्द्रन् : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सामान्यतया राज्य सरकारों ने त्रिभाषा सूत्र (फार्मूला) को स्वीकार कर लिया है और स्थानीय हालतों के अनुरूप संशोधनों और व्याख्याओं के साथ लागू कर दिया है ।

अब तक की प्राप्त सूचना के अनुसार, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा 1964–65 के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

असम ने अपने उन भाषाई अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों के लिए उनकी मातृ-भाषा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की है, जिनकी मातृ-भाषा राज्य-सभा के अतिरिक्त और कोई हो ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मध्य प्रदेश ने पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्याओं में संशोधन किया है ।

पंजाब में यह फार्मूला उर्दू भाषी जनता पर कुछ संशोधन के साथ लागू है (नेपाली और भोटी भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं) । ऐसे विद्या-

†[ ] English translation.